राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-1) विभाग

कमांकः प.४(12)गृह-1/2022

जयपुर, दिनांकः 17.03.2023

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

विषय:- डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 515/2021एवं 718/2021 द्वारा राज.राज्य व अन्य (अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13173/2019 एवं 13461/2019 द्वारा श्री पीयूष पाटीदार व अन्य एवं श्री हमीरनाथ सिद्ध व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021) बनाम श्री पीयुष पाटीदार व अन्य में माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय कमशः दिनांक 04.01.2022 एवं 12.01. 2022 तथा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18047/2019 दयालाल डामोर बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कॉन्स्टेबल भर्ती 2018 में एमबीसी बांसवाड़ा व दसवीं बटालियन आरएसी, बीकानेर हेतु चयनित रिकुट कॉन्स्टेबर्लो के उधमपुर प्रशिक्षण, संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाये जाने पर एवं सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में कान्स्टेबल पद हेतु अनिफट पाये जाने पर राज्य सेवा से पृथक किये गये कामिकों मा. उच्च न्यायालय, जोंधपूर में दायर एस. बी. सिविल याचिका संख्या 13173/2019 एवं 13461/2019 द्वारा श्री पीयूष पाटीदार व अन्य एवं श्री हमीरनाथ सिद्ध व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021 के विरुद्ध डीबी स्पेशल संख्या-515/2021 एवं 718/2021 द्वारा श्री पीयूष पाटीदार व अन्य एवं श्री हमीरनाथ सिद्ध व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय क्रमशः दिनांक ०४.०१. 2022 एवं 12.01.2022 तथा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18047/2019 दयालाल डामोर बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021 की पालना में कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य शर्ते) नियम 1999 में संशोधन के संबंध में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प. 3(4)कार्मिक/क-2/2022 दिनांक 16.03.2023 के क्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु निर्धारित नियमों में अंकित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्ती के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु निम्नांकित कार्मिकों को तालिकानुसार विभागों में पदस्थापन के आदेश जारी किये जाने की सहमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:-

, Ne

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	संवर्ग	आवंटित	आवंटित
0.1	-0		-1 / (पद	विभाग
01	श्री संजय कुमार मीणा	श्री प्रभुलाल मीणा	08.06.1996	एमबीसी	च0श्रे0क0	पुलिस विभाग
02	श्री गुनवीर सिंह राव	श्री भारत सिंह राव	25.07.1999	एमबीसी	च0श्रे0क0	पुलिस विभाग

अतः उक्त कार्मिकों को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य शर्ते) नियम 1999 एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना क्रमांक प. 3(4)कार्मिक / क-2 / 2022 दिनांक 16.03.2023 के अध्यधीन उपरोक्त कार्मिकों को आपके अधीन विभाग में दिनांक 20.03. 2023 तक नियुक्ति प्रदान कर, की गई कार्यवाही से इस विभाग को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

(जगवीर सिंह) संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

- 2. अति. महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नित बोर्ड, राजस्थान जयपुर।
- 3. अति. महानिदेशक पुलिसं, आर्म्ड बटालियन, राजस्थान जयपुर।
- 4. संबंधित याचिकर्ता को सूचनार्थ ।

5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

cer

//2//

GOVERNMENT OF RAJASTHAN DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-Gr.-11)

No. F. 3 (4) DOP/A -II/ 2022

Jaipur, dated: 16-3.2023

NOTIFICA HON

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 1999, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) (Amendment) Rules, 2023. (2) They shall come into force with immediate effect
- 2. Amendment of rule 6.- After the existing sub-rule (4) of rule 6 of the Rajasthan Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 1999, hereinafter referred to as the said rules, the following new sub-rule (5) shall be added, namely:-
 - "(5) Notwithstanding anything contained in these rules, the persons who were selected in Constable Recruitment, 2018 in Mewar Bhil Corps Banswara and 10th Battalian RAC Bikaner but declared medically unfit in Basic Training at Udhampur and Medical Board constituted by the Sawai Man Singh Hospital, Jaipur for the post of Constable and who were removed from service, such persons shall be appointed on the post of Class-IV in compliance of decision of the Rajasthan High Court Jodhpur dated 04.01.2022 in D.B. Special Appeal Writ No. 515/2021 State of Rajasthan & others vs. Piyush Patidar & others, if the candidate fulfills academe qualifications and other conditions prescribed under these rules for the post of Class-IV. The period for which employee remained out of service shall be regularized by grant of Extra Ordinary Leave, which shall not be counted for any purpose."
- 3. Amendment of rule 32.- After the existing last proviso to rule 32 of the said rules, the following new proviso shall be added, namely:-
 - " that the seniority interse of the persons appointed under sub-rule (5) of rule 6 shall be determined according to the merit list prepared for the appointment on the post of constable. These persons shall rank junior to the persons regularly appointed before the commencement of the Rajasthan Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) (Amendment) Rules, 2023."

By order and in the name of the Governor, (Ram Niwas Mehata)

Joint Secretary to the Government.